SOCW3/3/2023-XVII-A-3-Social Welfare Department

संख्या– 106 /SOCW3/3/2023-XVII-A-3(E-46589)

I/172707/2023

01 (अ) वि०क० 2019

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–03 **देहरादून, दिनांक 05 दिसम्बर, ~~नवम्बर~~, 2023**

विषय :–दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण क्रय किये जाने हेतु अनुदान धनराशि की सीमा में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य में दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण क्रय तथा मरम्मत कराये जाने हेतु विकलांग कल्याण अनुभाग–02, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–946–65–2–2000–282–200 दिनांक 31.08.2000 के प्राविधानानुसार अनुसार व्यक्तिगत मामलों में आवश्यकतानुसार ₹50/–से ₹3500/–तक, जैसा कि जिले के सरकारी चिकित्सालयों द्वारा संस्तुति की गयी हो, एवं कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत हेतु ₹500/–अनुदान की धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण क्रय किये जाने हेतु व्यक्तिगत मामलों में आवश्यकतानुसार अधिकतम धनराशि ₹7000/– अथवा कृत्रिम अंग अनुदान का मूल्य, जो भी कम हो तथा जिले के सरकारी चिकित्सालयों द्वारा संस्तुति की गयी हो, अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या –170725/2023 दिनांक 22.11.2023 से प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव।

Signed by Brijesh Kumar Sant
Date: 04-12-2023 15:30:18

संख्या– /SOCW3/3/2023-XVII-A-3(E-46589), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि उक्त संशोधन का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाय।
6. उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–04, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाइल।

(भगवत किशोर मिश्रा)
अपर सचिव।